संजय किशन कॉल, मुख्य न्यायमूर्ति और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह न्यायमूर्ति, के समक्ष

एच.सी. अरोड़ा-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी

2012 का सीडब्ल्यूपी नंबर 20157

11 अक्टूबर 2013

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996- धाराएँ. 2(4), 31(8), 40, 41 और 43-अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 - नियम 13(1), (2), (3), (4) - अखिल भारतीय सेवाएँ (सेवा की शर्तें - अवशिष्ट मामले) नियम, 1960-नियम 2(बी) - राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 - धाराएँ 3जी(5) एवं 3जी(6)-एनएचएआई परिपत्र दिनांक 24-12-2012-अधिसूचनाएं दिनांक 17-12-2009,3-2-2010, 26-12-2011-मध्यस्थ का शुल्क-मंडल आयुक्त (प्रतिवादी संख्या 4) अखिल भारतीय सेवा कैडर से संबंधित को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था- यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राज्य या केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मध्यस्थता शुल्क के रूप में अत्यधिक राशि ली थी- माना गया कि- मंडल आयुक्त एक मध्यस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे कर्तव्य- उन्हें पदनाम से मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, नाम से नहीं- वह आचरण नियम 1968 के प्रासंगिक सेवा नियम 13(4) द्वारा शासित हैं- सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना शुल्क नहीं लिया जा सकता- प्रतिवादी नंबर 4 को एकत्रित शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया मध्यस्थ और राज्य सरकार के खाते में उक्त अधिकारी से वसूले गए ब्याज के साथ भूमि मालिकों को मध्यस्थता शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

माना गया कि प्रतिवादी संख्या 4 अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है और अपने रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाले नियमों द्वारा शासित होता है। अपने रोजगार के दौरान अन्य स्रोतों से आय उत्पन्न करना उसकी सनक और इच्छा नहीं है, यदि उसकी तैनाती के स्थान के आधार पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। प्रतिवादी

सं. 4 को प्रासंगिक समय पर पंजाब राज्य में तैनात किया गया था। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि प्रतिवादी संख्या 4 के अलावा एनएचए अधिनियम की धारा 3जी(5) के तहत नियुक्ति के अनुसरण में मध्यस्थ के कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी और ने किसी भी शुल्क का दावा नहीं किया है। यह प्रतिवादी संख्या 4 काइस विधि से स्वयं को बढ़ाने और समृद्ध करने का एक अनूठा प्रयास रहा है। दुखद बात यह है कि जब दोनों राज्य अधिकारियों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, तब भी उक्त प्रतिवादी ने नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। संभवतः, रकम बहुत बड़ी होने के कारण उक्त प्रतिवादी को इस संबंध में अड़ियल रुख अपनाना पड़ा।

पैरा (29)

आगे कहा गया है, कि हम यह समझने में असफल हैं कि प्रतिवादी नं. 4 आचरण नियमों के नियम 13 के उप-नियम (4) की कठोरता से बाहर जा सकता है जिसके लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कोई अनुमति प्राप्त की गई है। , लेकिन, दूसरी ओर, अनुमति को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। प्रतिवादी नं. 4 मध्यस्थता अधिनियम के साथ पढ़े गए एनएचए अधिनियम के तहत एक वैधानिक कार्य करने की दलील के पीछे खुद को नहीं छिपा सकता।

पैरा (31)

आगे कहा गया कि हम प्रतिवादी संख्या के वरिष्ठ वकील की दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। वह प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति केवल इसलिए पदनाम से नहीं था कि हर बार एक अधिसूचना जारी की जाती थी। अधिसूचनाओं में प्रतिवादी संख्या4 सहित किसी भी अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं था। इसमें केवल उनके द्वारा धारित पद का उल्लेख है। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से पदनाम द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति का मामला है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को अपने समग्र कर्तव्यों के हिस्से के रूप में कार्य करना होगा। आचरण नियमों के नियम 13(4) के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 4 को शुल्क और मानदेय के बीच अंतर करने के प्रयास में पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और फिर यह दलील देने की कोशिश की जा सकती है कि एक अलग शुल्क लिया जा सकता है क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31(8) के तहत एक प्रावधान है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मध्यस्थ के शुल्क सहित मध्यस्थता की लागत प्रदान करने का तरीका और तरीका उक्त अनुभाग में प्रदान किया गया है, लेकिन यह एक सामान्य स्थिति के लिए है जहां कुछ शुल्क तय किया जाना है, न कि जहां प्रतिवादी नंबर 4 जैसा कोई व्यक्ति है। एक अधिकारी की हैसियत से एक मध्यस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है जिसे उसके कर्तव्यों के हिस्से के रूप में कार्य सौंपा गया है।

पैरा (32)

इसके अलावा, यह माना गया कि प्रतिवादी नंबर 4 कार्मिक विभाग के पत्र में निहित सलाह/निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। पंजाब सरकार की दिनांक 11-10-2012 जो उद्धृत की गई है पूर्वोक्त, प्रतिवादी नंबर 4 को पूरी मध्यस्थता खाते में मध्यस्थता शुल्क राशि बैंक से अर्जित/प्राप्त ब्याज के साथ जमा करने की आवश्यकता है और

सरकार को तदनुसार सूचित किया जाएगा। मध्यस्थता शुल्क के रूप में ली गई राशि पर आयकर के रूप में जमा की गई राशि की वापसी का दावा तुरंत किया जाना चाहिए और जैसे ही रिफंड प्राप्त होता है, उसे मध्यस्थता खाते में भी जमा किया जाना चाहिए। उक्त पत्र के शेष पैराग्राफ में आवश्यक विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए और आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा सभी आवश्यक कार्य किए जाने चाहिए।

पैरा (35)

इसके अलावा, यह माना गया कि चूंकि निजी भूमि मालिकों ने अपने पुरस्कार जारी करने के लिए एनएचएआई के शुल्क के हिस्से का भुगतान किया है, जहां भी इस तरह के शुल्क का भुगतान किया गया है, उसे निजी भूमि मालिकों के शुल्क के हिस्से के साथ आनुपातिक रूप से वापस किया जाना चाहिए। ब्याज प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। इस प्रकार, निजी भूमि मालिकों को इस लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मध्यस्थता शुल्क की एक बड़ी राशि वास्तव में वसूल की जानी है और इसलिए, यह राज्य सरकार का बाध्य कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत भूमि मालिकों को इस राशि की वापसी सुनिश्चित करे। उन्होंने मध्यस्थता के लिए जो भी शुल्क अदा किया हो, उसे आनुपातिक ब्याज प्रतिवादी द्वारा सहित वसूला और जमा किया गया हो प्रतिवादी संख्या 4।

पैरा (36)

एच.सी. अरोड़ा, अधिवक्ता/याचिकाकर्ता-स्वयं

ओ.एस. बटालवी, विशेष वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता प्रतिवादी नंबर 1/भारत संघ साथ में माया प्रकाश उप सचिव (एलए) मंत्रालय/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग।

जे.एस. सिद्धू, अतिरिक्त महाधिवक्ता, पंजाब प्रतिवादी नंबर 2. के लिए

रूपक बंसल, प्रतिवादी नंबर 3 के अधिवक्ता

एम.एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में नितिन सरीन, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4. के लिए

विवेक आदित्य, हस्तक्षेपकर्ता व्यक्तिगत रूप में

संजय किशन कौल, मुख्य न्यायमूर्ति

(1) श्री सुच्चा राम लाठर/ प्रतिवादी नंबर 4भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से संबंध रखता है। संभागीय आयुक्त के पद पर रहते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (इसके बाद "एनएचए अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 जी (5) के तहत एक मध्यस्थ का कार्य करते समय एक मध्यस्थ के शुल्क के अधिकार का दावा करके उनकी आय जालंधर और पटियाला डिवीजन उनके आय का अधिकार से अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं

उनके आय का अधिकार से अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं। यह प्रतिवादी नंबर 4 का कृत्य है जिसने मीडिया में कुछ प्रतिकूल प्रचार को जन्म दिया कि सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए राज्य या केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मध्यस्थता शुल्क के रूप में अत्यधिक राशि ली जा रही है। इसकी परिणति याचिकाकर्ता, एक वकील द्वारा एक जनहित याचिका दायर करने के रूप में हुई, जिसमें प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ उसके आचरण के लिए उचित आपराधिक/विभागीय कार्रवाई और लगाए गए मध्यस्थता शुल्क की पूरी राशि की वसूली की मांग की गई।

(2) याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी नंबर 4 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 31(8) की अपनी व्याख्या के आधार पर मध्यस्थता शुल्क के अधिकार का दावा करता है। उक्त प्रावधानों के संदर्भ में, जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए, मध्यस्थता की लागत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय की जानी है और ऐसी "लागत" मध्यस्थ और गवाहों की फीस और खर्चों, कानूनी शुल्क और खर्चों से संबंधित है। प्रशासन शुल्क और मध्यस्थता कार्यवाही में किए गए कोई भी अन्य खर्च। यह प्रतिवादी नंबर 4 का मामला है कि इस प्रकार, वह इस तरह की फीस वसूलने का कानूनन हकदार है।

(3) याचिकाकर्ता ने कहा है कि अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 (इसके बाद "आचरण नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 13(4) के अनुसार निषेध है क्योंकि यह अखिल भारतीय सेवा के सदस्य को प्रतिबंधित करता है कि सरकार की मंजूरी के बिना किसी सार्वजनिक निकाय या निजी व्यक्ति के लिए किए गए किसी भी कार्य के लिए शुल्क स्वीकार करने से। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस नियम को मौलिक और अनुपूरक नियमों (इसके बाद "एफआर" के रूप में संदर्भित) के पूरक नियम 12 में निहित प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो 400/- से अधिक किसी भी शुल्क का एक तिहाई हिस्सा लेने की अनुमति देता है। या किसी सरकारी कर्मचारी को भुगतान किया जाने वाला 250/- प्रति वर्ष का आवर्ती शुल्क, सामान्य राजस्व में जमा किया जाएगा, जब तक कि राष्ट्रपति, विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निर्देश न दें। हालाँकि, इसके कुछ अपवाद भी हैं।

(4) याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी नंबर 4 को एनएचए अधिनियम की धारा 3जी(5) के प्रावधानों के तहत मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए मध्यस्थता कार्यवाही संचालित करने की आवश्यकता थी। प्रतिवादी नंबर 4 को मंडलायुक्त, जालंधर और उसके बाद मंडलायुक्त, पटियाला के रूप में तैनात किया गया था, जब ऐसा शुल्क लिया गया बताया गया था। मुख्य महाप्रबंधक के दिनांक 1.3.2012 के पत्र के संदर्भ में एनएचएआई/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इसका विरोध किया गया था, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि प्रति मामला 12,000/- था, जो कुल मिलाकर 1.2 करोड़ था। प्रतिवादी संख्या 4 ने यह तर्क देकर कुल मध्यस्थता शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान करने के अपने दायित्व से इनकार कर दिया कि धारा 3जी(5) एनएचए अधिनियम के तहत नियुक्त मध्यस्थ को मध्यस्थता शुल्क के भुगतान के लिए एनएचए अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं था। ।

(5) ऐसा कहा जाता है भारत संघ/प्रतिवादी सं. 1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से मध्यस्थ के रूप में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को देय शुल्क का निर्धारण उसके पत्र दिनांक 27.10.2008 के अनुसार किया गया है। यह एक मध्यस्थ को प्रति दिन 500/- की दर से देय मानदेय के रूप में होगा, जो प्रति मामले में अधिकतम 10,000/- होगा। इन निर्देशों के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 4 ने प्रति मामले में अपनी फीस 12,000/- निर्धारित की है जिसे दोनों पक्षों द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा। वास्तव में, प्रतिवादी नंबर 4 ने निर्देश दिया कि मध्यस्थता शुल्क जमा करने के बाद अनुपालन के लिए वकील के माध्यम से पुरस्कार की एक प्रति दोनों पक्षों को दी जाए और भुगतान न करने पर पुरस्कार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि पुरस्कार देते समय एक और शर्त का पालन किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (इसके बाद "एनएचएआई" के रूप में संदर्भित) के लिए मध्यस्थता शुल्क का भुगतान भी भूमि मालिकों द्वारा रिलीज के समय किया जाएगा। वह राशि जो मालिक पुरस्कार के अनुसार पुरस्कार राशि लेते समय एनएचएआई से वसूल सकते हैं।

(6) एनएचएआई/प्रतिवादी संख्या 3 ने मुख्य सचिव, पंजाब सरकार/प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 21.6.2011 को लिखे पत्र के माध्यम से विरोध किया। बताया गया कि इसका कारण मुआवजा वितरण में देरी है जमीन मालिकों को एनएचएआई कब्जा लेने की स्थिति में नहीं है भूमि के अभाव के कारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हो रही है ।

(7) याचिकाकर्ता का कहना है कि 4.3.2009 को 629 मामलों का निर्णय करने वाला एक ही सामान्य आदेश था। निर्णय 28.1.2009 को पारित किया गया था, लेकिन दिनांक 4.3.2009 के आदेश के तहत, प्रतिवादी नंबर 4 ने 4,100/- प्रति मामले की दर से शुल्क का निर्देश दिया, जिसमें सचिवीय शुल्क और स्टेशनरी व्यय आदि 600/- की दर से शामिल थे। 629 मामलों में से प्रत्येक में पार्टियों से प्रति मामला वसूल किया जाना है। इस प्रकार, एकल सामान्य आदेश के लिए, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा ₹ 25.79 लाख का कुल शुल्क लिया गया था।

(8) याचिकाकर्ता का दावा है कि व्यापक प्रतिकूल प्रचार के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, भले ही पंजाब के महाधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से राय दी थी कि प्रतिवादी नंबर 4 का आचरण उनके हिस्से पर कदाचार है। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने अपनी पोस्टिंग के दो कार्यकालों के दौरान राज्य सरकार की मंजूरी के बिना मध्यस्थता शुल्क वसूल कर कुल मिलाकर लगभग 1.58 करोड़ रुपये कमाए।

(9) उपरोक्त कथनों पर याचिका पर नोटिस जारी किया गया और दलीलें पूरी की गईं। अंतरिम आदेश 8.2.2013 को पारित किए गए थे, जिसे आदेश दिनांक 15.2.2013 के साथ पढ़ा गया था, जिसमें प्रतिवादी नंबर 4 को पहले से तय किए गए मामलों और उन मामलों के मध्यस्थ के खाते में उसके द्वारा ली गई फीस का एक तिहाई जमा करने के लिए कहा गया था। वह अभी भी संचालन कर रहा था, पूरी फीस मध्यस्थ के खाते में जमा की जाएगी।

(10) 8.5.2013 को, रिकॉर्ड के आधार पर यह देखा गया कि दिनांक 17.12.2009 के पत्र के माध्यम से आयुक्त, जालंधर मंडल, जालंधर को मुआवजे में वृद्धि के लिए दायर भूमि मालिकों के दावों पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था। कपूरथला जिले के भीतर अधिग्रहीत भूमि के लिए। जहां तक अन्य जिलों का सवाल है, इसी तरह की अधिसूचनाएं जारी की गईं। इस प्रकार, नियुक्ति पदनाम द्वारा की गई थी। भारत संघ के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था: -

"(i) इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ को देय शुल्क क्या है और किसके द्वारा?

(ii) क्या मध्यस्थ के पास अपनी फीस स्वयं तय करने की शक्ति है स्वयं या केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं इस संबंध में सरकार;

(iii) मध्यस्थ को मानदेय या शुल्क के भुगतान के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

(iv) जहां तक अन्य राज्य के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत मामले का संबंध है, चाहे या नहीं, यह आवश्यक है कि नियुक्त मध्यस्थ शुल्क या शुल्क का हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करेगा।

यह भी निर्देश दिया गया कि यदि ऐसे मानदंड मौजूद नहीं हैं, तो सरकारी अधिकारियों की सेवा करने वाले मध्यस्थों को मानदेय और शुल्क के भुगतान के संबंध में मानदंड उपलब्ध कराए जाएं।

(11) 17.7.2013 को इस न्यायालय ने लंबित आवेदनों पर सुनवाई की रिट याचिका में. प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा एक निर्देश की मांग की गई थी कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.2.2011 को निरस्त/निलंबित किया जाए, जिसके संदर्भ में मध्यस्थता शुल्क का भुगतान न करने के कारण, पुरस्कार के कार्यान्वयन को निलंबित कर दिया गया था। इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की क्या प्रतिवादी नंबर 4 कोई शुल्क वसूल सकता है, यह अपने आप में एक अधिनियम कहा जाता है प्रश्न में और, इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 4 को इसकी अनुमति नहीं

दी जानी चाहिए शुल्क का कथित भुगतान न करने के कारण मध्यस्थता पुरस्कार को निलंबित करें। शुल्क का भुगतान न करने के कारण पुरस्कार के कार्यान्वयन को निलंबित करने के आदेश को प्रभावी नहीं माना गया। विवाद के गुण-दोष के आधार पर, यह राय दी गई कि दायर किया गया हलफनामा संबंधित मंत्रालय के सचिव का नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय अधिकारी का था, जिसमें केवल कुछ परिपत्रों की सूचना दी गई थी और दिनांक 8.5.2013 के आदेश में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया था। इस प्रकार, संबंधित सचिव को उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बुलाया गया। हमने निम्नानुसार अवलोकन किया:-

> *"हम देख सकते हैं कि उठाए गए विवादों में से एक यह है कि क्या 27.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन में प्रति मामले 10,000/- के अधिकतम भुगतान का संदर्भ मध्यस्थ के समक्ष विशेष लिस का संदर्भ है या क्या यह संदर्भित करता है मामलों की संख्या की परवाह किए बिना किसी अधिकारी को देय कुल राशि। हस्तक्षेपकर्ता द्वारा उसके आवेदनों के साथ दायर किए गए अनुलग्नकों को देखते हुए यह और भी अधिक है। यह बदले में इस्तेमाल किए गए दो वाक्यांशों 'मानदेय' और 'शुल्क' से उत्पन्न हो सकता है। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.10.2008, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.09.1981 का संदर्भ देते हुए 'मानदेय/शुल्क' देने का उल्लेख करता है। हालाँकि, उसके बाद, संदर्भ केवल 'मानदेय' का है। पंजाब राज्य के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान मामले में यह 'मानदेय' है जिसे संबंधित अधिकारी द्वारा रखा जाना उत्तरदायी नहीं है, न कि 'शुल्क'। प्रतिवादी नंबर 4 के विद्वान वरिष्ठ वकील स्वाभाविक रूप से इस स्थिति पर विवाद करते हैं और कहते हैं कि यह शुल्क का भुगतान है जो एनएच अधिनियम, 1956 और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुरूप है। पंजाब राज्य के विद्वान वकील ने भी एक प्रस्ताव रखा है। भारत संघ द्वारा आज दिनांक 24.12.2002 को हलफनामे के साथ दायर दूसरे अनुबंध का संदर्भ। हालाँकि, यह अनुबंध उस चीज़ से संबंधित है जिसे मध्यस्थता के लिए बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिए अन्य खर्चों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और यह केवल छह महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए लागू होगा। इन पहलुओं का जवाब भी भारत संघ को हलफनामे में देना होगा।"*

(12) अब संबंधित उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए रुख़ पर आते हैं। पंजाब राज्य/प्रतिवादी नंबर 2 ने अपने हलफनामे में कहा है कि राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 8.5.2007 के माध्यम से लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) को आयुक्त, जालंधर डिवीजन को मध्यस्थ के पद पर नियुक्त करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी। उन भूमि मालिकों की वृद्धि के दावे जिनकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग-1ए के जालंधर पठानकोट खंड के सुधार और चौड़ीकरण के लिए आवश्यक थी। जब यह राज्य के कार्मिक विभाग के ध्यान में लाया गया कि प्रतिवादी नंबर 4 मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए मध्यस्थता शुल्क स्वीकार कर रहा था, तो उसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.5.2012 के एक ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित समस्याओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था।

> *"(ए) एनएचएआई या किसी अन्य संगठन की किसी अन्य परियोजना के लिए मध्यस्थ के रूप में, मंडलायुक्त, जालंधर/पटियाला के रूप में क्या आपको कोई शुल्क/मानदेय/प्रभार प्राप्त हुआ है?*
>
> *(बी) यदि हां, तो क्या इस शुल्क/मानदेय/प्रभार को स्वीकार करने के लिए एआईएस (आचरण) नियम, 1968 के नियम 13(4) के तहत सरकार की पूर्व अनुमति ली गई थी?*

(सी) इस संबंध में अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है?

प्रतिवादी नंबर 4 से जवाब मिलने पर मामले की जांच की गई और दिनांक 20.6.2012 के पत्र द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 4 को मध्यस्थता कार्य के बदले में कोई भी मध्यस्थता शुल्क, सरकार द्वारा मामले में अंतिम निर्णय लेने तक न,लगाने का निर्देश दिया गया क्योंकि मध्यस्थता कार्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा था। पंजाब के महाधिवक्ता के कार्यालय से भी राय ली गई और विस्तृत राय प्राप्त हुई। इस राय को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी नंबर 4 को दिनांक 11.10.2012 का एक मेमो जारी किया गया था जिसमें उन्हें निम्नानुसार सलाह दी गई थी:

"2. मामले की जांच के बाद, आपको निम्नानुसार सलाह दी जाती है: -

(I) मध्यस्थता शुल्क के रूप में ली गई राशि में से रखी गई राशि, इस राशि पर बैंक से अर्जित/प्राप्त ब्याज के साथ, बैंक में मध्यस्थता खाते और सरकार में जमा की जाएगी। तदनुसार सूचित किया जाए.

(II) मध्यस्थता शुल्क के रूप में ली गई राशि पर आयकर के रूप में जमा की गई राशि की वापसी का दावा तुरंत किया जाएगा और जैसे ही रिफंड प्राप्त होगा, उसे मध्यस्थता खाते और सरकार में जमा किया जाएगा। तदनुसार सूचित किया जाए.

(III) मध्यस्थता कार्य के एवज में आधिकारिक कर्मचारियों को भुगतान किए गए मानदेय का विवरण/वाउचर तुरंत प्रस्तुत किया जाए और इस कार्य के लिए लगाए गए अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया जाए:-

(ए) लगे हुए व्यक्ति का नाम;

(बी) संबंधित व्यक्ति को जारी नियुक्ति पत्र की प्रति;

(सी) उस अवधि का विवरण जिसके लिए उन्होंने काम किया; (

डी) उसे कितना भुगतान किया गया और इस भुगतान से संबंधित रसीदें आदि।

(vI) मध्यस्थता कार्य के लिए उपभोग की गई स्टेशनरी आदि की खरीद की रसीदें।

(vii) भविष्य में कोई मध्यस्थता शुल्क नहीं लिया जाएगा क्योंकि संभागीय आयुक्त के रूप में मध्यस्थता कार्य आपके कर्तव्य का हिस्सा है।"

(13) हलफनामे में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कार्रवाई पूरी होने के बाद, आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन, इसके विपरीत, उक्त प्रतिवादी ने निर्देश का पालन करने के बजाय, वीडियो के माध्यम से अनुरोध किया पत्र दिनांक 23.10.2012 कि मामले को वर्तमान रिट याचिका पर अंतिम निर्णय आने तक लंबित रखा जाए। 22.11.2012 को एक और सलाहकार पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पहले के ज्ञापन का अनुपालन किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान रिट याचिका में कोई अंतरिम आदेश लागू नहीं हो रहे थे और राज्य सरकार के आदेश के अनुपालन में देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।

(14) प्रतिवादी संख्या 3/एनएचएआई का लिखित बयान कमोबेश ऊपर दिए गए उपरोक्त तथ्यों को सामने रखता है, जिसमें पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के साथ पत्र दिनांक 21.6.2011 के पत्र सहित उपयुक्त दिशा-निर्देशों के लिए अनुरोध भी शामिल है। प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी.

(15) राज्य सरकार/प्रतिवादी संख्या 2 ने भी एक दायर किया है हस्तक्षेप से उत्पन्न 4.3.2013 को अतिरिक्त हलफनामे की पुष्टि की गई विवेक आदित्य और रखी गई सामग्री के वर्तमान मामले में अनुमति दी गई है उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष. की कार्यवाही में यह कहा गया है 27.2.2013, भारत संघ/प्रतिवादी नंबर 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा था इस न्यायालय के समक्ष मंत्रालय का दिनांक 22.2.2013 का एक पत्र प्रस्तुत किया गया भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन जो निम्नानुसार सूचित करता है:-

"स्वीकृति शुल्क/मानदेय को विनियमित करने वाले विभाग द्वारा जारी पांच ओ.एम. दिनांक 27.10.2008, 23.12.1985, 2.7.1960 और17.7.1998, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है, केंद्रीय सेवा पर लागू होते हैं केवल अधिकारी। इस विभाग के स्थापना प्रभाग द्वारा जारी इन ओ.एम. के प्रावधानों को एआईएस अधिकारियों तक विस्तारित नहीं किया गया है, जिन्हें एआईएस (सेवा की शर्तें) के नियम 2 (बी) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों में विनियमित किया जाना है। - अवशिष्ट मामले) नियम, 1960 (प्रतिलिपि संलग्न) जबकि वे राज्य संवर्ग में सेवारत हैं।

उपरोक्त संदर्भ में, अखिल भारतीय सेवा (सेवा की शर्तें-अवशेष मामले) नियम, 1960 के नियम 2(बी) का संदर्भ दिया गया है। जो इस प्रकार है:

*""2. **अवशिष्ट मामलों के लिए प्रावधान करने की केंद्र सरकार की शक्ति**। केंद्र सरकार, संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श के बाद, अखिल भारतीय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है, जिसके लिए*

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के तहत बनाए गए या बनाए गए माने गए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है; और जब तक ऐसे नियम नहीं बनाए जाते, तब तक ऐसे मामलों को विनियमित किया जाएगा: -

(ए) संघ के मामलों के संबंध में सेवारत व्यक्तियों के मामले में, केंद्रीय सेवाओं, वर्ग। के अधिकारियों पर लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा;

(बी) किसी राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत व्यक्तियों के मामले में, राज्य सिविल सेवा, वर्ग। के अधिकारियों पर लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा, ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन, जैसा कि केंद्र सरकार कर सकती है। लिखित आदेश द्वारा संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करें।"

इस प्रकार, यह कहा गया है कि एआईएस में नियुक्त और राज्य (वर्तमान मामले में पंजाब राज्य) के मामलों के संबंध में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें पंजाब के अधिकारियों पर लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होती हैं। राज्य सिविल सेवा, वर्ग-। ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन है जो केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद लिखित आदेश द्वारा कर सकती है। इस प्रकार, क्लास- । अधिकारियों पर लागू होने वाले पंजाब सिविल सेवा नियमों के प्रावधान अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (संक्षेप में "एआईएस) के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अलावा प्रतिवादी नंबर 4 की सेवा की शर्तों के संबंध में भी लागू होंगे। अधिनियम") और आचरण नियम। इस प्रकार, इस स्पष्टीकरण में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा लगाए गए मध्यस्थता शुल्क के लिए हस्तक्षेपकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए कार्यालय ज्ञापनों का ध्यान रखा गया है।

(16) हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा एनएचए अधिनियम की धारा 3जी(5) के संदर्भ में दिनांक 17.12.2009, 3.2.2010 और 26.12.2011 को जारी की गई अधिसूचनाओं में आयुक्त, जालंधर डिवीजन को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। , अनिवार्य रूप से पदनाम द्वारा मध्यस्थ की नियुक्तियों के लिए थे, न कि प्रतिवादी क्रमांक 4 के नाम से और, इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि यह पदेन नियुक्ति की प्रकृति में था जो पदधारी/धारक द्वारा किया जाना था। भारत सरकार, कार्मिक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 6.6.1972 द्वारा एआईएस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की व्याख्या के बारे में यह स्पष्ट किया गया है कि ये केंद्र सरकार के विचार हैं जिन्हें पहले रखा जाना चाहिए। न्यायालय को भी एक पक्ष के रूप में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, भारत सरकार पर इस संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने का बोझ डाला गया है। लेकिन जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, उसका रुख स्पष्ट है कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 4 ने आचरण नियमों के नियम 13(4) के तहत आवश्यक मध्यस्थता शुल्क वसूलने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं ली थी, इसलिए शुल्क लेना आवश्यक था। ब्याज सहित वापस लौटाया जाए और राज्य सरकार के पत्र दिनांक 11.10.2012 द्वारा प्रतिवादी नंबर 4 को भविष्य में शुल्क वसूलने से रोकने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके थे।

(17) जहां तक भारत संघ के रुख का सवाल है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 27.7.2013 को दायर हलफनामे को संदर्भित करना पर्याप्त होगा, जिसमें दिनांक 8.5.2013 के आदेश में उठाए गए चार प्रश्नों का संदर्भ दिया गया है। . यह कहा गया है कि न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बैठकों में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था और चार प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं: -

(i)(ए) मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता अधिनियम के साथ-साथ एनएचए अधिनियम द्वारा शासित होगी, लेकिन जहां तक शुल्क के भुगतान का सवाल है, प्रतिवादी संख्या 4 जैसे मध्यस्थ अपने स्वयं के सेवा नियमों द्वारा शासित होंगे और, इस प्रकार , आचरण नियमावली का नियम 13(4) लागू होगा।

(i)(बी) इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी शुल्क का दावा या निर्धारण नहीं किया जा सकता है जिसके तहत मध्यस्थ के रूप में नियुक्त अधिकारी काम करता है;

(i)(सी) एनएचएआई ने अब तक अधिग्रहण से संबंधित मामलों में विभिन्न राज्यों में मध्यस्थ के रूप में काम करने वाले राजस्व अधिकारियों को कोई राशि का भुगतान नहीं किया है और न ही एनएचएआई मंत्रालय की ओर से ऐसे भुगतान करने का कोई इरादा है जैसा कि उनसे अपेक्षा की जाती है इन कार्यों को सार्वजनिक हित में अपने सामान्य कर्तव्य के हिस्से के रूप में निष्पादित करें, जो पंजाब सरकार द्वारा प्रतिवादी नंबर 4 को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है।

(ii) राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले राजस्व अधिकारी को अपनी फीस तय करने की शक्ति नहीं है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामलों के संबंध में किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। ऐसा कहा गया है कि इस पहलू को हलफनामे के साथ संलग्न दिनांक 26.7.2013 के हालिया दिशानिर्देशों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है;

(iii)(ए) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में मध्यस्थता के माध्यम से राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं सामान्य कर्तव्यों का हिस्सा हैं, जिनके लिए किसी विशेष पारिश्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्या राज्य सरकार को काम सौंपने वाले अपने राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत करने की इच्छा होनी चाहिए ऐसे मामलों में मध्यस्थता के लिए, यह राज्य सरकार है, जो सक्षम प्राधिकारी है, जो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस तरह के मानदेय का भुगतान राज्य सरकार के समेकित निधि से किया जाएगा;

(iii)(बी) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की दिनांक 2.7.1960, के ओ.एम. के संदर्भ में एक निजी पार्टी और मंत्रालय के बीच विवाद में जिस मंत्रालय में वह काम कर रहा है उसके अलावा किसी अन्य मंत्रालय के बीच विवाद में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त एक सरकारी कर्मचारी, पूर्व अनुमोदन के साथ इस तरह का काम कर सकता है और उसके लिए मानदेय प्राप्त कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय ज्ञापन में मानदेय की दरें निर्धारित हैं। जिसे कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया , क्रमांक 17011/21/79- स्था. (भत्ते) दिनांक 29.9.1981 एवं ओ.एम. क्रमांक 17011/8/2007-स्था.(भत्ता) दिनांक 27.10.2008, ये ओ.एम. मध्यस्थ के रूप में नियुक्त भारत सरकार के केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों पर

लागू होते हैं। चूंकि जिस अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था, वह प्रतिवादी नंबर 4 है, वह एक राज्य में कार्यरत एआईएस अधिकारी है, ओ.एम. के प्रावधान उस पर लागू नहीं होगा.

(iv) उपरोक्त दिए गए उत्तरों के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठेंगे।

(18) इस प्रकार, भारत संघ ने प्रतिवादी संख्या 4 की गैर-हकदारता के संबंध में एक स्पष्ट रुख अपनाया है। हालाँकि, यह उल्लेख किया गया है कि नीतिगत मामलों पर दिनांक 24.12.2012 के एनएचएआई परिपत्र में सहायक कर्मचारियों और आकस्मिकताओं पर होने वाले खर्च से निपटने के लिए एक वित्तीय प्रावधान का ध्यान रखा गया है ताकि मध्यस्थता कार्यवाही के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा सके।

(19) इस प्रकार, तीनों संबंधित प्रतिवादी-अधिकारियों का उपरोक्त रुख, हमारे विचार में, कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि वे सभी एक ही राय के हैं यानी प्रतिवादी नंबर 4 की नियुक्ति उनके एक विशेष पद पर रहने के परिणामस्वरूप हुई है। और नियुक्ति पदनाम के आधार पर होने के कारण, उसने जो काम किया वह उसके आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा था और इस प्रकार, उसे कोई भी शुल्क देय नहीं है।

(20) सभी संबंधित विभागों द्वारा उठाए गए उपरोक्त रुख के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 4 इस बात पर अड़ा था कि वह उस राशि को बनाए रखने का हकदार है जो उसने शुल्क के रूप में वसूली थी। वास्तव में, न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 4 के विद्वान वरिष्ठ वकील से पूछा कि क्या उक्त प्रतिवादी सभी आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए रुख के मद्देनजर पुनर्विचार की प्रक्रिया अपनाएगा और राशि वापस करेगा, लेकिन विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि कहा गया कि प्रतिवादी एक आदेश आमंत्रित करना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि वह राशि बरकरार रखने का हकदार है।

(21) इस प्रकार, हम विद्वान वकील को सुनने और उनकी अधीनता की सराहना करने के लिए आगे बढ़े, जिसके लिए हम उनके लिखित बयान में उनके द्वारा उठाए गए रुख की ओर रुख करेंगे। प्रतिवादी नंबर 4 का रुख यह है कि उन्हें राज्य सरकार की सहमति से एनएचए अधिनियम की धारा 3 जी (5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है और इस प्रकार, यह एक ही है। वैधानिक नियुक्ति और पदेन हैसियत से नहीं। मध्यस्थता की कार्यवाही एनएचए अधिनियम की धारा 3जी(6) के मद्देनजर मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलनी होगी। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया था और इस प्रकार, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31(8) के मद्देनजर, प्रतिवादी नंबर 4 ने मध्यस्थता शुल्क तय किया। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2(4) का भी संदर्भ दिया गया है जो उस अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी मध्यस्थता के तहत लागू करता है परंतु मध्यस्थता अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1), धारा 41 और धारा 43 छोड़कर।

(22) नियम 13 में सेवा के सदस्यों द्वारा सरकार की मंजूरी प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है, यदि व्यक्ति उप-नियम (1), (2) और (3) के तहत निर्धारित किसी भी कार्य को करता है। नियम 13 के तहत और उस स्थिति में शुल्क स्वीकार करते समय उक्त नियमों के नियम 13(4) के तहत सरकार की अनुमति लेनी होगी। चूंकि प्रतिवादी नंबर 4 का दावा है कि वह पदेन क्षमता में मध्यस्थ के रूप में काम नहीं कर रहा है, इसलिए नियम लागू नहीं होने की बात कही गई है। हर बार अधिसूचना जारी होने पर यह दावा किया जाता है कि यह एक विशिष्ट नियुक्ति है, न कि उनके पद के आधार पर। ***प्रदीप कुमार बिसवास बनाम भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान और अन्य***[1] (1) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मद्देनजर, पदेन नियुक्ति को कार्यालय के आधार पर नियुक्ति कहा जाता है। प्रतिवादी नंबर 4 का दावा है कि वह सरकारी खजाने में मध्यस्थता शुल्क का एक तिहाई जमा करने के संबंध में राज्य सरकार का बार-बार प्रतिनिधित्व कर रहा था, जैसा कि एफआर के पूरक नियमों के तहत परिकल्पित किया गया था, विभिन्न संचार के माध्यम से और राज्य सरकार को एक रूप में सूचित करने का दावा किया गया था या दूसरा मध्यस्थता शुल्क के निर्धारण और चार्ज के बारे में। इस संबंध में, मुख्य महाप्रबंधक, एनएचएआई के दिनांक 14.7.2009 के आंतरिक संचार का संदर्भ दिया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता शुल्क का भुगतान करना होगा जब तक कि सरकार द्वारा छूट नहीं दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि राज्य सरकार ने वास्तव में मध्यस्थता शुल्क जमा करने के लिए दिनांक 6.7.2010 के पत्र के माध्यम से एनएचएआई को सलाह दी थी और यह मामला एनएचएआई द्वारा उनके पत्र दिनांक 21.6.2011 के संदर्भ में पंजाब के मुख्य सचिव के साथ उठाया गया था। इसके बावजूद एनएचएआई शुल्क जमा करने में आनाकानी कर रहा था। उक्त प्रतिवादी का दावा है कि उसने मध्यस्थता कार्य के प्रयोजनों के लिए शनिवार और राजपत्रित छुट्टियों पर समय बिताया था और जालंधर डिवीजन में उसने 3 साल और 11 महीने से अधिक समय बिताया था। विभिन्न संचारों की प्रक्रिया में, प्रतिवादी नंबर 4 का दावा है कि उसे अनुलग्नक पी-2 मिला है, जो 27.10.2008 का कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) है और इस प्रकार, उसने उत्तर देने की अनुमति देने के लिए सरकार को दिनांक 3.9.2012 को एक पत्र लिखा था। प्रतिवादी को परिपत्र के अनुसार मध्यस्थता शुल्क वसूलने की पेशकश के साथ जहां भी अतिरिक्त राशि ली गई हो, उसे सरकारी खजाने में जमा करने की पेशकश करनी होगी। हालाँकि, उस ओ.एम. पर जो व्याख्या दी जा रही है वो यह है कि जब प्रति मामले में अधिकतम ₹ 10,000/- शुल्क लेने का संदर्भ दिया जाता है, तो इस राशि को स्तर किसी व्यक्तिगत पक्ष के विशेष दावे से सह-संबंधित माना जाता है अर्थात "प्रति मामला" और इसे 'मध्यस्थ के अनुसार नहीं' बल्कि 'व्यक्तिगत विवाद लंबित' का संदर्भ माना जाता है। यह शुल्क रेलवे विभाग और निजी पार्टियों द्वारा मध्यस्थों को भुगतान किया जाना बताया गया है। इस संबंध में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त कुछ संचारों का भी उल्लेख किया गया है।

(23) हस्तक्षेपकर्ता द्वारा दायर हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन में यह ओ.एम. भी संलग्न है। दिनांक 27.10.2008 और आवेदन में कहा गया है कि "मामले" का संदर्भ मध्यस्थता मामले का नहीं बल्कि प्रति वर्ष एक अधिकारी का है। डीओपीटी के लिए, प्रत्येक अधिकारी एक फाइल और एक केस है और एक वर्ष में उसका कुल शुल्क/मानदेय

[1] (2002) 5 एससीसी 111

एक केस है और संभावित गलत व्याख्या को जल्द से जल्द ओ.एम. के अनुसार स्पष्ट किया गया है। दिनांक 2.7.1960 को अनुबंध I/6 के रूप में संलग्न किया गया। ज्ञापन इस प्रकार है:-

"मध्यस्थ के रूप में नियुक्त सरकारी सेवक को मानदेय।

- भारत सरकार और निजी पार्टियों के बीच या निजी पार्टियों के बीच के विवादों में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त सरकारी सेवक को मानदेय/फीस देने के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक समान प्रथा का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, कानून मंत्रालय के परामर्श से निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

(i) जब एक सरकारी कर्मचारी को भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग जिसमें वह कार्यरत है और एक निजी पक्ष के बीच विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसे कोई मानदेय नहीं दिया जाना चाहिए।

(ii) यदि, हालांकि, उसे किसी निजी पार्टी और जिस मंत्रालय/विभाग में वह काम कर रहा है, उसके अलावा किसी अन्य मंत्रालय/विभाग के बीच विवाद में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह ऐसा काम कर सकता है और निम्नलिखित शर्तों पर उसके लिए मानदेय प्राप्त कर सकता है: -

(ए) कार्य शुरू करने से पहले, अधिकारी को, जैसा कि मौलिक नियम 46 (बी) के तहत आवश्यक है, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी होगी, जो यह तय करेगा कि, अपने अधिकारीक कर्तव्यों के अनुरूपता के अनुसार, उसे कार्य करने और इसके लिए मानदेय प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

(बी) उसे प्रति दिन 500 रुपये या आधे दिन के लिए 250 रुपये, अधिकतम 10,000 रुपये प्रति मामले की दर से मानदेय का भुगतान किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, एक दिन का अर्थ है किसी भी दिन दो घंटे से अधिक लगातार काम करना और आधे दिन का मतलब है दो घंटे या उससे कम समय तक काम करना। उसे लिखित रूप में एक प्रमाणपत्र दर्ज करना होगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि उसने किसी विशेष दिन पर एक दिन का काम किया है या आधे दिन का।

(iii) उपरोक्त दोनों मामलों में से किसी में भी, जब मध्यस्थता के कारण कोई भी लागत किसी निजी पार्टी के खिलाफ दी जाती है, तो संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा वसूली पर पूरी राशि सरकार को जमा की जाएगी और उसे भुगतान नहीं किया जाएगा। मध्यस्थ

(iv) एक सरकारी कर्मचारी, मौलिक नियम 46(ऐ) के तहत आवश्यक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से, निजी पक्षों के बीच विवाद में मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति स्वीकार कर सकता है। ऐसी अनुमति देते समय, सक्षम प्राधिकारी यह तय करेगा कि क्या वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अनुरूप, मध्यस्थता का कार्य कर सकता है और यह भी कि क्या वह विवाद के पक्षों से इसके लिए कोई शुल्क स्वीकार कर सकता है। यह शुल्क एसआर 12 के प्रावधानों के अधीन होगा।"

कार्यालय ज्ञापन अनुलग्नक के प्रासंगिक उद्धरण 1/8 दिनांक 31.3.1994/20.1.1997 और अनुबंध ।/9 दिनांक 17.7.1998 को क्रमशः यहां उद्धृत किया गया है: "

2. इस विभाग के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं जहां 5000/- से अधिक का मानदेय भुगतान किया गया है एक वर्ष के दौरान इस दलील पर कि 5000/- की सीमा कार्य की प्रत्येक मद पर अलग से लागू होती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार को देय मानदेय की कुल राशि। एक वित्तीय वर्ष के दौरान नौकर भारत के मंत्रालयों/विभागों/नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई शक्तियों के तहत 5000/- और विभाग प्रमुखों की शक्तियों के तहत 2500/- तक सीमित है। ये सीमाएं किसी भी मामले में कार्य की विभिन्न मदों या वर्ष के अलग-अलग समय पर किए गए कार्य की एक ही मद को मानदेय की पात्रता की गणना के उद्देश्य से अलग मानकर इससे अधिक नहीं किया जा सकता है।"

"यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के दिनांक 23.12.1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 17011/9/85-स्था(एएल) द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों के तहत मंत्रालयों/विभागों द्वारा 'प्रत्येक मामले में 5000/- 2500/- की राशि का भुगतान किया जाएगा। मानदेय की कुल राशि को संदर्भित करता है, चाहे वह आवर्ती हो या गैर-आवर्ती, जो किसी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जा सकता है।"

(24) इस प्रकार, उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा 10,000/- "प्रति मामले" चार्ज करने के लिए अपनाया जाने वाला बचाव का रास्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(25) प्रतिवादी नंबर 4 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी स्वामी के मौलिक नियमों का हवाला देते हुए शुल्क को मानदेय से अलग करने की मांग की, जहां शुल्क और मानदेय को निम्नानुसार वर्णित किया गया है: -

"(6-ए) शुल्क का अर्थ है किसी सरकारी कर्मचारी को भारत की संचित निधि, या किसी राज्य की संचित निधि या किसी केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से आवर्ती या गैर-आवर्ती भुगतान, चाहे वह सीधे किया गया हो सरकारी कर्मचारी या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के मध्यस्थ के माध्यम से, लेकिन इसमें शामिल नहीं है-

(ए) अनर्जित आय जैसे संपत्ति, लाभांश और प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय; और

(बी) साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक या तकनीकी प्रयासों से आय और शौकिया तौर पर खेल गतिविधियों में भाग लेने से आय।"

(9) मानदेय का अर्थ है किसी सरकारी कर्मचारी को भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि या केंद्र शासित प्रदेश की निधि से दिया जाने वाला आवर्ती या गैर-आवर्ती भुगतान जो पारिश्रमिक के रूप मे सामयिक या रुक-रुक कर होने वाले विशेष कार्य के लिए दिया जाता है।

" (25) उपरोक्त संदर्भ में, ऑडिट निर्देशों के अनुसार, मौलिक नियम-46 इस प्रकार है:-

"मौलिक नियम.46 (ए) शुल्क। नियम 46-ए और नियम 47 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, एक सरकारी कर्मचारी को एक निर्दिष्ट सेवा या श्रृंखला करने के लिए अनुमति दी जा सकती है, यदि यह उसके आधिकारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सकता है। किसी निजी व्यक्ति या निकाय के लिए या स्थानीय निधि का प्रबंधन करने वाले निकाय सहित किसी सार्वजनिक निकाय के लिए सेवाओं का और उसके लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए, यदि सेवा महत्वपूर्ण हो, एक गैर-आवर्ती या आवर्ती शुल्क।

टिप्पणी। यह खंड नागरिक रोजगार में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पेशेवर उपस्थिति के लिए फीस की स्वीकृति पर लागू नहीं होता है जो राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा विनियमित होता है।

(बी) मानदेय- केंद्र सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में एक मानदेय दे सकती है या प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है जो कभी-कभार या रुक-रुक कर होता है और या तो इतना श्रमसाध्य या ऐसी विशेष योग्यता वाला होता है कि एक विशेष पुरस्कार को उचित ठहराया जा सके। सिवाय इसके कि इस प्रावधान से हटने के लिए विशेष कारण, जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, मौजूद हैं, तब तक मानदेय की स्वीकृति की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि कार्य केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से नहीं किया गया हो और इसकी राशि पहले से ही तय नहीं की गई हो।

(सी) फीस और मानदेय। फीस और मानदेय दोनों के मामले में, मंजूरी देने वाला प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज करेगा कि मौलिक नियम 11 में उल्लिखित सामान्य सिद्धांत को उचित सम्मान दिया गया है और उन कारणों को भी दर्ज करेगा जो उसकी राय में अतिरिक्त पारिश्रमिक के अनुदान को उचित ठहराते हैं।

उपरोक्त मौलिक नियम को पढ़ने से पता चलता है कि सरकारी कर्मचारी को गैर-आवर्ती या आवर्ती शुल्क के खिलाफ सार्वजनिक निकाय के लिए एक निर्दिष्ट सेवा या सेवा की श्रृंखला करने की "अनुमति दी जा सकती है"।

(26) मौलिक नियम-48 का भी संदर्भ दिया गया, जो इस प्रकार है:-

"मौलिक नियम.48: कोई भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदान किए गए अन्यथा को छोड़कर, विशेष अनुमति के बिना प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए पात्र है-

(ए) सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में किसी निबंध या योजना के लिए दिया गया प्रीमियम;

(बी) किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए, या न्याय प्रशासन के संबंध में जानकारी या विशेष सेवा के लिए दिया जाने वाला कोई इनाम;

(सी) किसी अधिनियम या विनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कोई पुरस्कार;

(डी) सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क कानूनों के प्रशासन के संबंध में सेवाओं के लिए स्वीकृत कोई भी पुरस्कार; और

(ई) किसी सरकारी कर्मचारी को उन कर्तव्यों के लिए देय कोई फीस जो उसे किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत या सरकार के आदेश द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में करने की आवश्यकता होती है।

यह पूर्वोक्त संदर्भ में है कि प्रतिवादी नंबर 4 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि बिना किसी विशेष अनुमति के भी, एक सरकारी कर्मचारी कर्तव्यों के लिए देय किसी भी शुल्क को बनाए रखने का हकदार है, जिसे उसे किसी विशेष या के तहत अपनी आधिकारिक क्षमता में करने की आवश्यकता होती है। स्थानीय कानून या सरकार के आदेश से।

(27) उपरोक्त संदर्भ में, पंजाब सिविल सेवा नियम, भाग-1 का भी संदर्भ दिया गया था, जिसे निम्नानुसार समविषयक के आधार पर बताया गया है:

"[पुराना नियम 5.63] 1.5.49 । कोई भी सरकारी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, विशेष अनुमति के बिना प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए पात्र है।

(ए) सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में किसी निबंध या योजना के लिए दिया गया प्रीमियम;

(बी) किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए, या न्याय प्रशासन के संबंध में जानकारी या विशेष सेवा के लिए दिया जाने वाला कोई इनाम;

(सी) उसके तहत बनाए गए विनियमन या नियमों के अनुसार देय कोई भी पुरस्कार;

(डी) सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क कानूनों के प्रशासन के संबंध में सेवाओं के लिए स्वीकृत कोई भी पुरस्कार; और

(ई) किसी सरकारी कर्मचारी को उन कर्तव्यों के लिए देय कोई फीस जो उसे किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत या सरकार के आदेश द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में करने की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार, उनका कहना है कि प्रतिवादी नंबर 4 को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और वह अभी भी शुल्क अपने पास रख सकता है।

(28) प्रश्न में विवाद पर गहराई से विचार करने पर हम स्पष्ट रूप से इस विचार पर हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 दोनों के रुख को देखते हुए प्रतिवादी नंबर 4 किसी भी राशि को बनाए रखने और दावा करने का हकदार नहीं है।

(29) प्रतिवादी नंबर 4 अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है और इस रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाले नियमों द्वारा शासित होता है। इस रोजगार के दौरान अन्य स्रोतों से आय उत्पन्न करना उसकी सनक और इच्छा नहीं है, यदि उसकी तैनाती के स्थान के आधार पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। प्रतिवादी नंबर 4 को प्रासंगिक समय पर पंजाब राज्य में तैनात किया गया था। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि प्रतिवादी संख्या 4 के अलावा, किसी अन्य ने एनएचए अधिनियम की धारा 3जी(5) के तहत नियुक्ति के अनुसरण में मध्यस्थ के कर्तव्यों को निभाने के लिए किसी भी शुल्क का दावा नहीं किया है। इस पद्धति से स्वयं को उन्नत और समृद्ध बनाना प्रतिवादी संख्या 4 का एक अनूठा प्रयास रहा है। दुखद बात यह है कि जब दोनों राज्य अधिकारियों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, तब भी उक्त प्रतिवादी ने नियमों का पालन करने से इनकार कर

दिया। संभवतः, यह राशि बहुत बड़ी होने के कारण उक्त प्रतिवादी को इस संबंध में अड़ियल रुख अपनाना पड़ा।

(30) यदि कोई मतभेद या भ्रम था तो राज्य सरकार और भारत संघ द्वारा जारी विभिन्न संचारों द्वारा इसका समाधान किया गया। अपने हलफनामे में लिए गए भारत संघ के रुख को हमने विस्तार से बताया है और उसे दोबारा दोहराने का कोई मतलब नहीं है। यह कहना पर्याप्त है, जब स्पष्ट रुख किसी भी राशि को बनाए रखने के खिलाफ है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए, अन्य बातों के अलावा, दिनांक 26.7.2013 के पत्र द्वारा एनएचए अधिनियम के तहत मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित दिशानिर्देशआवश्यक परिपत्र द्वारा जारी किए गए हैं।

(31) हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि प्रतिवादी नंबर 4 आचरण नियमों के नियम 13 के उप-नियम (4) की कठोरता से बाहर कैसे जा सकता है जिसके लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा कोई अनुमति प्राप्त की गई है, लेकिन दूसरी ओर, अनुमति को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। प्रतिवादी नंबर 4 मध्यस्थता अधिनियम के साथ पढ़े गए एनएचए अधिनियम के तहत एक वैधानिक कार्य करने की दलील के पीछे खुद को छिपा नहीं सकता है।

(32) हम प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वरिष्ठ वकील की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति पदनाम द्वारा नहीं की गई थी क्योंकि हर बार एक अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचनाओं में प्रतिवादी नंबर 4 सहित किसी भी अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं था। इसमें केवल उनके द्वारा धारित पद का उल्लेख था। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से पदनाम द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति का मामला है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को अपने समग्र कर्तव्यों के हिस्से के रूप में कार्य करना होगा। आचरण नियमों के नियम 13(4) के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 4 को शुल्क और मानदेय के बीच अंतर करने के प्रयास से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और फिर यह दलील देने की कोशिश की जा सकती है कि एक अलग शुल्क लिया जा सकता है क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31(8) के तहत एक प्रावधान है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मध्यस्थ के शुल्क सहित मध्यस्थता की लागत प्रदान करने का तरीका और तरीका उक्त अनुभाग में प्रदान किया गया है, लेकिन यह एक सामान्य स्थिति के लिए है जहां कुछ शुल्क तय किया जाना है और नहीं जहां प्रतिवादी नंबर 4 जैसा कोई व्यक्ति है एक अधिकारी की हैसियत से एक मध्यस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है जिसे उसके कर्तव्यों के हिस्से के रूप में कार्य सौंपा गया है।

(33) जहां तक प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा "प्रति मामले" 10,000/- की फीस मांगने के वैकल्पिक मार्ग का सवाल है, यह भी इस संबंध में जारी किए गए ओ.एम. द्वारा समझाया गया है और पूर्वोक्त उद्धृत किया गया है जो बनाता है यह स्पष्ट है कि संदर्भ एक वर्ष की अवधि में कुल भुगतान का है।

(34) भारत संघ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि पंजाब राज्य, जहां प्रतिवादी संख्या 4 वर्तमान में तैनात है, कुछ भुगतान देना चाहता है, तो वह राज्य के लिए समेकित निधि की राशि से ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। . लेकिन ऐसा नहीं है. राज्य प्रतिवादी नंबर 4 को कोई भुगतान नहीं करना चाहता ।

इस संबंध में प्रतिवादी नंबर 4 को संचार, विशेष रूप से दिनांक 11.10.2012 के संचार से काफ़ी स्पष्टता रही है ।प्रतिवादी नंबर 4 को इसका पालन करना चाहिए।

(35) इस प्रकार, हमारा विचार है कि प्रतिवादी नंबर 4 पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग के दिनांक 11.10.2012 के पत्र में निहित सलाह/निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है, जिन्हें पूर्वोक्त उद्धृत किया गया है। प्रतिवादी नंबर 4 को इस राशि पर बैंक से अर्जित/प्राप्त ब्याज के साथ मध्यस्थता शुल्क की पूरी राशि मध्यस्थता खाते में जमा करने की आवश्यकता है और सरकार को तदनुसार सूचित किया जाएगा। मध्यस्थता शुल्क के रूप में ली गई राशि पर आयकर के रूप में जमा की गई राशि की वापसी का दावा तुरंत किया जाना चाहिए और जैसे ही रिफंड प्राप्त होता है, उसे मध्यस्थता खाते में भी जमा किया जाना चाहिए। उक्त पत्र के शेष पैराग्राफ में आवश्यक विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए और आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा सभी आवश्यक कार्य किए जाने चाहिए।

(36) हालाँकि, हम एक साथ यह निर्देश जारी करना उचित समझते हैं कि चूंकि निजी भूमि मालिकों ने अपने पुरस्कार जारी करने के लिए एनएचएआई के शुल्क के हिस्से का भुगतान किया है, जहां भी इस तरह के शुल्क का भुगतान किया गया है, वही हिस्सा के साथ निजी भूमि मालिकों की फीस प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिए गए आनुपातिक ब्याज के साथ पूरी तरह वापस की जाएगी। इस प्रकार, निजी भूमि मालिकों को इस लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मध्यस्थता शुल्क की एक बड़ी राशि वास्तव में वसूल की जानी है और इसलिए, यह राज्य सरकार का बाध्य कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत भूमि मालिकों को इस राशि की वापसी सुनिश्चित करे। मध्यस्थता के लिए उन्होंने जो भी शुल्क अदा किया हो, उसे आनुपातिक ब्याज के साथ प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा वसूल और जमा किया गया हो। यह प्रक्रिया राज्य द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा राशि जमा करने के एक महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी ।

(37) इस प्रकार, हम उपरोक्त शर्तों में रिट याचिका की अनुमति देते हैं।

(38) हम प्रतिवादी नंबर 4 पर उसके आचरण और उसके अड़ियल रुख के कारण न्यायिक समय की अनावश्यक बर्बादी के लिए जुर्माना लगाना भी उचित मानते हैं, जिसकी राशि ₹ 20,000/- है, जिसे उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र में जमा किया जाना है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

तुषार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,कैथल,हरियाणा ।

एच.सी. अरोरा बनाम भारत संघ और अन्य

(संजय किशन कौल, मुख्य न्यायमूर्ति)